

प्रेस नोट

दीव में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया ।

दीव जिला प्रशासन द्वारा जनहित में यह सूचित किया गया है कि दीव शहर में दुपहिया वाहन चलाने वाले एवं उनके पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा । यह नियम 20 मार्च, 2014 से लागू हो जाएगा । इस आदेश के पालन न करने वालों को नियमानुसार दण्डित किया जाएगा एवं जुर्माना लगाया जाएगा ।

It is to inform the public in general that from 20th March, 2014 onwards, it will be mandatory for all the motorized two-wheeler drivers including the pillion rider to wear Helmet while driving the two-wheeler in Diu District.

Non-compliance of this order shall lead to fine and punishment as per law.